



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 5113/2025

सुरेंद्र कुमार और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : दिलीप सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 80

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. संशोधित सूची में वाद पुकारा गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। हालाँकि, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए उपस्थित हैं।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह याचिका, कन्नौज के विद्वान अपर सिविल जज (जूनियर डिवीज़न)/एफ.टी.सी.-I/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 10.12.2024 को दिए गए आदेश, और थाना कन्नौज, जिला-कन्नौज के तहत आईपीसी की धारा 323, 427, 504, 506 के अंतर्गत दर्ज शिकायत वाद

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 3837/2024 (विशंभर बनाम सुरेंद्र कुमार) की पूरी कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दायर की गई है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दिनांक 27.08.2023 को रात्रि लगभग 9:00 बजे, विपक्षी संख्या 2 ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आवेदकों के घर में जबरन प्रवेश किया, उनके साथ मारपीट की और गाली-गलौज की। परिणामस्वरूप, आवेदक संख्या 4 ने 29.08.2023 को विपक्षी संख्या 2 व अन्य के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 504 और 506 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 661/2023 दर्ज कराया। उचित जांच के बाद, पुलिस ने विपक्षी संख्या 2 और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 504, 506, 324 और 325 के तहत आरोप-पत्र दायर किया। इसके बाद, जवाबी कार्रवाई के रूप में और याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के इरादे से, विपक्षी संख्या 2 ने 20.05.2024 की कथित घटना के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक झूठी और निराधार शिकायत दर्ज कराई, जबकि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं थी। इसके अलावा यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता का बयान सीआर.पी.सी. की धारा 200 के तहत दर्ज किया गया था, और उसके गवाहों, यानी अच्छेलाल और गोविंद का बयान सीआर.पी.सी. की धारा 202 के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने आई.पी.सी. की धाराओं 323, 427, 504 और 506 के तहत आरोपियों को समन जारी किया। यह तर्क दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ठीक से समझने में विफल रहे और न्यायिक सोच का सही इस्तेमाल किए बिना समन जारी करने का आदेश देकर कानूनी गलती की है। इसलिए, यह आदेश स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के वकील ने आवेदकों की दलीलों का विरोध किया है। उनका कहना है कि 20.05.2024 को शाम लगभग 6:00 बजे, आवेदक सुरेंद्र कुमार शिकायतकर्ता की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मूंगफली की फसल में अपने जानवर चरा रहे थे। जब शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई और जानवरों को खेत से हटाने की कोशिश की, तो आवेदक नाराज़ हो गए। इसके बाद, शाम लगभग 7:00 बजे, आवेदकों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के घर में घुसकर उसे गाली दी, उसके साथ मारपीट की और 25,000 रुपये कीमत के टीवी, सिलाई मशीन और टेबल फैन की चोरी की। आगे यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत में पूरी घटना का विवरण दिया है और सीआर.पी.सी. की धारा 200 के तहत दर्ज अपने बयान में इसका समर्थन किया है, और उसके गवाहों ने भी सीआर.पी.सी. की धारा 202 के तहत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के वर्ज़न का समर्थन किया है। शिकायत और सीआर.पी.सी. की धारा 200 और 202 के तहत दर्ज बयानों, साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से आवेदकों को समन जारी किया है। इसलिए, यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

6. अभिलेख देखने से पता चलता है कि आवेदकों पर आरोप है कि 20.05.2024 को शाम लगभग 6:00 बजे, आवेदक सुरेंद्र कुमार शिकायतकर्ता की मूंगफली की फसल में जानवर चरा रहा था। शिकायतकर्ता के विरोध करने पर आवेदक नाराज़ हो गए और शाम लगभग 7:00 बजे शिकायतकर्ता के घर में घुस गए, उसे गालियां दीं, उसके साथ मारपीट की और घर का सामान चोरी कर लिया। शिकायतकर्ता की जांच सीआरपीसी की धारा 200 के तहत की गई, और गवाहों, अच्छेलाल और गोविंद की जांच धारा 202 सीआरपीसी के तहत की गई। इसके बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदकों को आईपीसी की धारा 323, 427, 504 और 506 के तहत तलब किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित सम्मन आदेश पारित करते समय ठोस और पर्याप्त कारण बताए हैं।

7. अभिलेख पर मौजूद सामग्री और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। वकील की ओर से दी गई सभी दलीलें

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथ्यों के विवादित सवालों से जुड़ी हैं, जिन पर यह न्यायालय सीआर.पी.सी. की धारा 482 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला नहीं कर सकता। इस चरण पर केवल प्रथम दृष्टया मामले को देखना है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 एससीसी (क्रि.) 426), बिहार राज्य बनाम आर.पी. शर्मा (1992 एससीसी (क्रि.) 192) और आखिर में जंजू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. सराफुल हक और अन्य (पैरा-10) (2005 एससीसी (क्रि.) 283) के मामलों में तय किए गए कानूनों को ध्यान में रखना होगा। इस चरण पर आरोपी के विवादित बचाव पक्ष पर विचार नहीं किया जा सकता।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे उक्त मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं दिखता; इसलिए, इसे रद्द करने का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

9. तदनुसार, आवेदन **खारिज** किया जाता है।

19 मार्च 2026

मो0 फैजल

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”